

Full Title of the Project: Protected forest land to be diverted for Doubling of Existing Railway Track from (Km No.- 1.000 to 125.000) Bhatni – Aunrihar Railway line in Forest Division -Deoria (From Km. 1.000 to 28.226), Forest Division - Ballia (Km. 28.226 to 52.952 in Ballia district), Forest Division - Mau (Km. 52. 952 to 81.874 in Mau district) and Forest Division - Ghazipur (Km. 81. 874 to 125.000 in Ghazipur district), Uttar Pradesh.

Proposal No. : FP/UP/RAIL/44309/2020

Date of Proposal: 30th January. 2020

Forest Land Proposed For Diversion: 162.8776 Hectare.

वन अधिकार अधिनियम 2006 के नियम 2008 एवं संसोधित नियम 2012 के
अन्तर्गत वचन बद्धता प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भटनी से ओरीहार रेलमार्ग दोहरीकरण का कार्य प्रस्तावित है एवं उक्त उरियोजना के निर्माण में वांछित वन भूमि हेतु रेल विकास निगम लि० वाराणसी द्वारा प्रत्यावर्तन प्रस्ताव किये गये हैं एवं वन अधिकार अधिनियम प्रमाण—पत्र प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृती उपरान्त उपलब्ध करवा दिया जावेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्ण सहमती है।



Manager/Civil
RVNL/BSR

(प्राधिकृत हस्ताक्षर)
रेल विकास निगम लि०
वाराणसी